

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 28.04.2021

आदेश

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के पत्र क्रमांक 4307 दिनांक 03.04.2020 के द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न आपदा की परिस्थिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/इन्सीडेन्ट कमान्डर की सहायतार्थ ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित है। इस क्रम में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी उपखण्ड अधिकारी/इन्सीडेन्ट कमान्डर एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप के अध्यक्षों को निर्देशित करें कि ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा कोविड नियंत्रण एवं प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों आदि में स्वास्थ्य मित्रों एवं ग्राम रक्षकों का सक्रिय सहयोग लिया जावे।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राज.
9. आयुक्त ई. जी. एस.।
10. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. निजी /रक्षित पत्रावली

संजय कुमार

(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव